मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1017
10.02.2025 को उत्तर के लिए

डीजल/पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध

1017. श्री मुरारी लाल मीना :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) निजी वाहनों के संबंध में डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष की समय-सीमा और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष की समय-सीमा के नियम को निरस्त/संशोधित करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो उक्त कार्रवाई कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाणिज्यिक वाहनों की तुलना में निजी वाहन कम चलते हैं और इस प्रकार दोनों प्रकार के वाहनों के संबंध में एक जैसे नियम लागू करना न्यायोचित नहीं है;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकर ऐसे वाहनों के संबंध में समय-सीमा निर्धारित करने के स्थान पर निजी वाहनों को प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर उनके अनुरक्षण, परीक्षण एवं निरीक्षण के आधार पर चलाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने पर्यावरण अनुकूल तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रीति से हटाने के लिए एक उचित वातावरण तैयार करने हेतु स्वैच्छिक वाहन फ्लीट आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी-वीएमपी) और वाहन स्क्रैपिंग नीति प्रतिपादित की है। इस नीति के अंतर्गत, सड़कों पर चलने के लिए वाहनों की उपयुक्तता एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से वाहन के फिटनेस परीक्षण द्वारा निर्धारित की जाती है।

निजी वाहनों के लिए, 15 वर्षों के बाद पंजीकरण के नवीकरण हेतु फिटनेस परीक्षण अपेक्षित होता है और उनकी फिटनेस स्थिति के आधार पर, पंजीकरण के प्रमाणपत्र का नवीकरण फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए, फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीकरण आठ वर्ष तक हर दो वर्ष में और उसके बाद हर वर्ष कराना अपेक्षित होता है।

फिटनेस परीक्षण में असफल होने के मामले में पुन:परीक्षण करवाने और अपीलीय प्राधिकारी से पुनर्विचार हेतु अपील करने का भी प्रावधान है। उपरोक्त प्रक्रिया के बाद अंततः असफल होने वाले वाहनों को प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों (ईएलवी) के रूप में चिह्नित किया जाएगा और उन्हें स्क्रैप करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत सा.का.नि. 653(अ), तारीख 23.09.2021 के द्वारा मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 और उसके बाद सा.का.नि. 695(अ), तारीख 13.09.2022 के द्वारा मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का पंजीकरण और कार्य संशोधन) नियम, 2022 अधिसूचित किए। पुराने वाहनों का पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण और उनकी श्रेडिंग सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वाहन पुनर्चक्रण और श्रेडिंग उद्योग हेतु "प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों (ईएलवी) के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश" प्रकाशित किए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 13029/1985 (एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ) में दिनांक 29.10.2018 के अपने आदेश में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा वर्ष 2014 की ओ.ए. संख्या 21 में दिनांक 07.04.2015 को दिए गए आदेश को बरकरार रखते हुए निर्देश दिया कि 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी पेट्रोल वाहन एनसीआर में नहीं चलेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय का उक्त निर्देश, वाणिज्यिक वाहनों के साथ-साथ निजी वाहनों पर भी लागू होता है।

एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर राज्यों को निदेश दिया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और एनजीटी के ऊपर संदर्भित आदेशों के अनुसरण में सड़कों पर चलने वाले या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए गए ऐसे सभी प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों/नियत अवधि से अधिक पुराने वाहनों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाए।

*****